



2026:AHC:33375

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट- ए संख्या- 2269 सन् 2026

ओबैदुर्रहमान वर्तमान में खंड विकास कार्यालय में कार्यरत एवं 2 अन्य याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... प्रत्यर्थागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : आलोक कुमार श्रीवास्तव, श्वेता श्रीवास्तव

प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह ने न्यायालय में बयान दिया है कि उन्हें निर्देशों की पूरी जानकारी है और वे मामले में बहस करने की स्थिति में हैं। वे कोई प्रति शपथपत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं और याचिका का निर्णय अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए।
3. पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका पर नए स्तर पर निर्णीत किया जा रहा है।
4. याचिकाकर्ताओं का मामला, जिनकी संख्या सात है, यह है कि अधिसूचना दिनांकित 09.09.1994 के अनुसार, याचिकाकर्ताओं को उर्दू अनुवादक सह-जूनियर क्लर्क के पद पर नियुक्त किया गया था, और वे 24.03.1995, 19.04.1995 और 21.04.2007 को अपनी सेवाएँ ग्रहण कीं। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि वे 21.02.2007 के शासकीय आदेश के बाद लाभ के हकदार थे और 30.11.2011 को एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके तहत उर्दू अनुवादक सह वरिष्ठ क्लर्क के पद का पूर्ववर्ती पदनाम समाप्त कर दिया गया था और 15 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के बाद 2800 ग्रेड पे के साथ उर्दू अनुवादक सह वरिष्ठ सहायक के रूप में नया पदनाम सृजित किया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उन्हें 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उर्दू अनुवादक-वरिष्ठ सहायक के पद पर दूसरी पदोन्नति का

2

लाभ भी दिया गया था। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि 30.12.2025 के सोनभद्र के जिला विकास अधिकारी द्वारा पारित आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ताओं को दिए गए लाभ वापस ले लिए गए हैं।

5. इसी बात पर सवाल उठाते हुए यह रिट याचिका दायर की गई

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश सामान्य कारण से स्थिर नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह याचिकाकर्ता को सूचित किए बिना एकतरफा रूप से पारित की गई है। उनका यह भी तर्क है कि यह धोखाधड़ी, छिपाव या गलतबयानी का मामला नहीं है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि आक्षेपित आदेश में यह उल्लेख नहीं है कि याचिकाकर्ता को नोटिस दिया गया था। आगे उनका यह भी प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाए और मामले को वापस भेज दिया जाए।

8. मैंने बार द्वारा दिए गए सभी तर्कों को सुना है और अभिलेख का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया है।

9. स्पष्टतः, प्रत्यर्थी संख्या 4 - जिला विकास अधिकारी, सोनभद्र द्वारा दिनांकित 30.12.2025 को पारित आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि याचिकाकर्ता को नोटिस दिया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भगवान शुक्ला बनाम भारत संघ एवं अन्य; (1994) 6 एससीसी 154 निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:

“3 हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। याचिकाकर्ता का मूल वेतन 1970 से 190 रुपये प्रति माह निर्धारित था, इस बात पर कोई विवाद नहीं है। यह भी निर्विवाद है कि अपीलकर्ता का मूल वेतन 190 रुपये प्रति माह से घटाकर 181 रुपये प्रति माह कर दिया गया था, जो 18.12.1970 से पूर्वव्यापी रूप से लागू हुआ था। अपीलकर्ता को स्पष्ट रूप से दीवानी दंड भुगताना पड़ा है, लेकिन उसे अपने मूल वेतन में कटौती के विरुद्ध कारण बताने का कोई अवसर नहीं दिया गया। विभाग द्वारा वेतन में कटौती करने से पहले उसे कोई सूचना भी नहीं दी गई और यह आदेश उसकी पीठ पीछे, विधि के किसी भी ज्ञात प्रक्रिया का पालन किए बिना जारी किया गया। इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ है और अपीलकर्ता को बिना सुनवाई का अवसर दिए भारी वित्तीय हानि उठानी पड़ी है। निष्पक्षता का सिद्धांत यह

3

सुनिश्चित करता है कि किसी कर्मचारी को दीवानी दंड भुगताने के लिए उत्तरदायी कोई भी आदेश संबंधित व्यक्ति को सूचित किए बिना और उसे मामले में सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि ऐसा नहीं किया गया, इसलिए दिनांकित 25.7.1991 का आदेश (ज्ञापन), जिसे न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई थी, निश्चित रूप से मान्य नहीं हो सकता और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता को याचिका खारिज करने में गलती की है। न्यायाधिकरण का आदेश रद्द किए जाने योग्य है। तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के दिनांकित 17.9.1993 के आदेश के साथ-साथ न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दिए गए दिनांकित 25.7.1991 के उस आदेश (ज्ञापन) को भी रद्द करते हैं, जिसमें अपीलकर्ता का मूल वेतन दिनांकित 18.12.1970 से 190 रुपये से घटाकर 181 रुपये कर दिया गया था।”

10. चूंकि आक्षेपित आदेश के संबंध में यह स्पष्ट नहीं है कि याचिकाकर्ता को नोटिस दिया गया था, इसलिए इस न्यायालय के पास आदेश को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

11. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित तरीके से किया जा रहा है:

(क) प्रत्यर्थी संख्या 4, जिला विकास अधिकारी, सोनभद्र द्वारा दिनांकित 30.12.2025 को पारित आदेश को रद्द किया जाता है।

(ख) मामले को नए आदेश पारित करने के लिए प्राधिकारी को वापस भेजा जात है।

12. शीघ्र निपटारे के लिए, संबंधित पक्ष याचिका की स्व-सत्यापित प्रति सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो उक्त कार्यवाही को शीघ्रता से निपटाएगा। इसके बाद

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्राधिकारी याचिकाकर्ता को सुनवाई की तिथि निर्धारित करते हुए सूचित करेगा और यदि कोई जानकारी आवश्यक हो, तो याचिकाकर्ता आवेदन के माध्यम से उसे प्रस्तुत करेगा तथा आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर एक नया आदेश पारित किया जाएगा।

13. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

16 फरवरी, 2026

एन० एस० राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"